

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता , बुण्डू (राँची)
RM वाद संख्या-35/11-12
छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता - जितेन्द्र सिंह बिंझिया वगैरह पिता-स्व0 जगमोहन सिंह
ग्राम+पो0-तैमारा ,थाना-बुण्डू जिला-राँची।

क्रेता का नाम एवं पता- लक्ष्मी नारायण सिंह पिता-साधु सिंह
ग्राम+पो0-तैमारा, थाना-बुण्डू जिला-राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम- श्री चन्द्र मोहन महतो।

विद्वान अधिवक्ता का नाम- श्री शिवशंकर महतोआपत्तिकर्ता

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-15/10/11 को लक्ष्मी नारायण सिंह पिता-साधु सिंह के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

| मौजा | थाना नं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकबा |
|--------|----------|----------|-----------|-----------------------|
| तैमारा | 81 | 133 | 385 | 0.41 ए0 मध्ये 0.01 ए0 |

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी ,बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई । साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

दिनांक-09/12/11 को आपत्तिकर्ता ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति दायर किया। अंचल अधिकारी ,बुण्डू को दिनांक-31/10/11 तक जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी एवं दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए पक्ष रखने हेतु दिनांक-30/12/11 को एवं अंचल अधिकारी ,बुण्डू द्वारा स्मार के बाद भी जाँच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया।

अतः अंचल अधिकारी ,बुण्डू के जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त एवं आपत्तिकर्ता के लिखित बयान के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 के आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आवेदन के बाद मुकदमा की कार्यवाई समाप्त किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता ,
बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता ,
बुण्डू।